ई-1752644

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 03-09-2024

विषय:- जिला कारागार, बलिया के बंदियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-16693/सामा-1(6)/231/बलिया जेल शिफ्टिंग/24, दिनांक 11-06-2024 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118 सपठित प्रस्तर-385 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभिन्न मा0 न्यायालयों से जिला कारागार, बलिया हेतु प्राप्त नवागंतुक बंदियों को नई कारागार के निर्माण तक जिला कारागार, मऊ में निरूद्ध किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, बलिया/मऊ।

5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बलिया/मऊ।

7-वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, जिला कारागार, बलिया/मऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों को जिला कारागार, मऊ में स्थानांतरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।